न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

दायर तारीख 25.10.2018

प्रार्थनापत्र संख्या :– 120 / 2018

अनवान

01 दिनेश पिता कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी बिजौलिया जिला भीलवाडा।
02 जमनाशंकर पिता कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी बिजौलिया जिला भीलवाडा।
03 महेश पिता कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी बिजौलिया जिला भीलवाडा।
04 सोहन देवी पत्नी कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी बिजौलिया जिला भीलवाडा।

............प्रार्थीगण

बनाम

भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।

उपस्थित :– 1. श्री सुनील कुमार जोशी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 28.02.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया की हम प्रार्थीगणों के स्वामित्व के खातेदारी कृषि भूमि ग्राम मौजा बिजौलियां कला पटवार हल्का बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राजस्थान में प्रार्थीगण की भूमि आराजी नम्बर 235, 1745 / 240 कुल किता 2 रकबा 7–13 बीघा भूमि खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड होकर चली आ रही है जिसका लगान राज्य सरकार में जमा कराते आ रहे हैं। उक्त आराजीयात में जाने के लिए रास्ता बिलानाम खसरा संख्या 1590 / 240 से होकर जाता हैं। उक्त रास्ते का हमारे पूर्वज एवं उनके बाद हम प्रार्थीगण वर्षो से निरन्तर निर्विवाद अपनी आराजी मे जाने के लिये उपयोग उपभोग करते आ रहें हैं। इसके अतिरिक्त हम प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात में जाने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं होने से वर्तमान मे प्रार्थीगण की भूमि पड़त पडी हैं। प्रार्थीगण नियमानुसार राजस्व शुल्क जमा कराने के लिये तैयार हैं। हम प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात 235, 1745 / 240 पर जाने के लिए बिलानाम खसरा संख्या 1590 / 240 पर रास्ते को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज विपक्षी की तलबी करावायी गयी। विपक्षी राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं जवाब प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में तहसीलदार से मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की गयी। मौका स्थिति में नक्शा ट्रेस एवं नजरी नक्शा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिजौलियां कलां की आराजी नम्बर 235, 1745 / 240 कुल किता 2 रकबा 7–13 बीघा भूमि पर आने जाने के लिए रास्ते के सम्बध में तहसीलदार बिजौलिया कलां से रिपोर्ट चाही गयी। प्रार्थीगणों की ग्राम बिजौलियां कलां की आराजी नम्बर 235, 1745 / 240 कुल किता 2 रकबा 7–13 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज रेकार्ड हैं। खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए आराजी नम्बर 242 गे0मू0 रास्ता से लगती हुई बिलानाम आराजी नम्बर 1590 / 240 व खातेदारी आ0नं0 1589 / 240 में होकर एक प्रचलित रास्ता निकल रहा है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि के दक्षिण पूर्वी कोने में पहुंचता है। उक्त प्रस्तावित रास्ता बिलानाम आराजी नम्बर 1590 / 240 रकबा 1–00 बीघा भूमि में से मौके पर 72 मीटर लम्बा एवं 9 मीटर चौड़ा (648 व0मी0) रास्ता 0–08 बीघा भूमि पर निकल रहा हैं। भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 49740 / – रू0 होकर मालियत 19896 / – रू0 हैं। का दुगुना 39792 / – रू0 बनते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

मौके पर प्रचलित रास्ता अवरूद्ध नहीं होकर चालू हैं। तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं।

प्रार्थीगण को स्वयं की भूमि पर पहुचने के लिए राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ते की भूमि दर्ज रेकॉर्ड नहीं है। तथा वैकल्पिक रास्ता भी नहीं हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

उक्त प्रस्तावित रास्ता बिलानाम भूमि में से रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया ने कोई आपति नही की है अतः प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थीगणों के स्वयं की मौजा बिजौलियां कला स्थित आराजी नम्बर आराजी नम्बर 235, 1745/240 भूमि में आने जाने के लिए आराजी नम्बर 242 गे0मू0 रास्ता से लगती हुई बिलानाम आराजी नम्बर 1590/240 रकबा 1–00 बीघा भूमि में से 72 मीटर लम्बा एवं 9 मीटर चौड़ा (648 व0मी0) भूमि पर रास्ता दर्ज होगा। जिसकी डी.एल.सी. दर 49740/– रू0 होकर मालियत 19896/– रू0 हैं। का दुगुना 39792/– रूपयें बतौर मुहावजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमान्तर्गत रास्ता/पगडंडिया राजस्व अभिलेख में अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 28.02.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजोलियां जि. भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner